भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3897

जिसका उत्तर 04 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है

14 चैत्र, 1947 (शक)

आधार कार्डों का अनिवार्य पुन: पंजीकरण

3897. डा. अजित माधवराव गोपछड़े :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जारी किए गए आधार कार्डों की पहचान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) सरकार द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष में आधार कार्डों का पुन: पंजीकरण किया जाना अनिवार्य क्यों नहीं किया है, क्योंकि पुन:पंजीकरण के लिए कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप फर्जी जानकारी के आधार पर प्राप्त आधार कार्डों का उपयोग किया जाना जारी रहता है और कई आधार कार्ड फर्जी जानकारी के आधार पर वर्षों पहले जारी किए गए है थे; और

(ग) सरकार ने आधार कार्डों के नि:शुल्क पुन:पंजीकरण को लागू करने पर विचार क्यों नहीं किया है ताकि आर्थिक बोझ न पड़े ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग) : आधार विश्व की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली है जिसमें 133 करोड़ से अधिक व्यक्ति शामिल हैं तथा इसके माध्यम से 13,000 करोड़ से अधिक प्रमाणीकरण लेनदेन पूरे किए गए हैं।

आधार को बायोमेट्रिक डी-डुप्लीकेशन सहित कई जांचों के बाद बनाया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक ही आधार दो व्यक्तियों को जारी नहीं किया गया है। यह सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास किया जाता है कि गुणवत्ता जांच और बायोमेट्रिक डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया के माध्यम से नकली या डुप्लिकेट नामांकन की पहचान की जाए और उन्हें खारिज कर दिया जाए।

उपर्युक्त के अलावा, अपात्र व्यक्ति को आधार प्राप्त करने से रोकने के लिए निम्नलिखित सुदृढ़ प्रतिउपाय किए गए हैं:-

(i) सभी वयस्क नामांकन अनुरोध सत्यापन के लिए संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजे जाते हैं। संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों से पुष्टि प्राप्त होने के बाद ही आधार बनाया जाता है।

(ii) निवासी विदेशियों से सभी नामांकन अनुरोध पासपोर्ट और वीज़ा विवरणों के सत्यापन के लिए आप्रवास ब्यूरो (बीओआई) को भेजे जाते हैं। बीओआई से विवरणों के सत्यापन के बाद ही आधार बनाया जाता है।

(iii) आधार के नामांकन के दौरान प्रस्तुत किए गए समर्थन दस्तावेजों को जाली दस्तावेजों के उपयोग से बचने के लिए जहां कहीं भी ऑनलाइन सत्यापन प्रावधान उपलब्ध है, दस्तावेज जारी करने वाले अधिकारियों से सत्यापित किया जाता है।

(iv) 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे के नामांकन के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य है।

इसके अलावा, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के पास आधार में किसी व्यक्ति के जनसांख्यिकीय विवरण (नाम, पता, जन्म तिथि, लिंग, मोबाइल और ईमेल) को अद्यतन करने के लिए एक बेहतर परिभाषित तंत्र है। आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम, 2016 में यह प्रावधान है कि आधार संख्या सृजित होने की तारीख से 10 वर्ष की प्रत्येक अवधि पूरी होने पर आधार धारक पहचान और पते के प्रमाण को प्रमाणित करने वाले दस्तावेजों या सूचना का अद्यतन कर सकता है।

******